न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 33/2021

अनवान : –

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बीझाराम जाति चमार निवासी छानीवड़ी त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. दलीप पुत्र बीझाराम जाति चमार निवासी छानीवड़ी त0 भादरा।
2. ईश्वर पुत्र बिशनाराम पौत्र बीझाराम चमार नि0 छानीवडी त0 भादरा।
3. इन्द्रा पुत्री बिशनाराम पौत्री बीझाराम चमार नि0 छानीवडी त0 भादरा।
4. दर्शना पुत्री बिशनाराम पौत्री बींझाराम चमार नि0 छानीबड़ी त0 भादरा।
5. रामचन्द्र पुत्र कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीवड़ी त0 भादरा।
6. सतवीरसिंह पुत्र कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
7. लक्ष्मणराम पुत्र कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीवड़ी त0 भादरा।
8. सुन्दर पुत्री कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
9. गुडडी पुत्री कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
10. भतेरी पत्नी कृष्णकुमार जाति चमार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :–श्री संदीप गोदारा **प्रार्थी**
विनोद पूनिया अप्रार्थी 1–5

निर्णय दिनांक: 10.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 सीएचएन के खाता सं0 101/91 के मु0न0 14 के किला न0 27, 43 की कुल 0.885है0 प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। एवं इसी चक में खाता सं0 141/124 के मु0न0 14, 43 की कुल 0.986है0 नहरी खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 3 ता 9 के मौरूस कृष्णकुमार के नाम खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 सीएचएन के खाता सं0 39/37 के मु0न0 14, 43 की कुल 0.887है0 अप्रार्थी सं0 1 दलीप के नाम खातेदारी दर्ज है। इसी चक के खाता सं0 75/71 के मु0न0 14 , 43 की कुल 1.214है0 अप्रार्थी सं0 2 के पिता बिशनाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। खातेदार कृष्णकुमार व बिशनाराम फौत हो चुके है जिनके हक हिस्सों पर उनके वारिसान काबिज है जो प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकारान उपस्थित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन से सदामत से चालू रास्ता मु0न0 14 के किला न0 16, 17, 18 के दक्षिणी तरफ किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम एव इसी प्रकार मु0न0 43 के किला 2, 3, 4 के उत्तरी तरफ किला लाईन पर पश्चिम से पूर्वी तरफ एक एक गठठा रास्ता रखा गया है से होकर करता है। क्योकि उक्त रास्ता में जाने वाली भूमि के बदले अप्रार्थीगण को अधिक भूमि दी गई है। उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवागमन में आये दिन बाधा उत्पन्न की जाती है। अतः प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1–5 ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 ता 4, 6 ता 9 हाजिर अदालत नहीं होने पर उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता चक 3 सीएचएन के मु0न0 14 के किला न0 16/1, 17/1, 18/1 के दक्षिणी तरफ किला लाइन पर पूर्व से पश्चिम एव इसी प्रकार मु0न0 43 के किला न0 2/3, 3/1, 4/1 के उत्तरी तरफ किला लाईन पर पश्चिम से पूर्वी तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मुताबिक प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन है, तथा रास्ता की भूमि की एवज में कोई भी अनुतोष प्रार्थी अप्रार्थीगण को देने के लिए तत्पर है। वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थी की वाद भूमि से कभी भी आवागमन नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई चालू रास्ता है। प्रार्थी को खाता–तकसीम के समय अपनी खातेदारी में आवागमन करने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिए था वर्तमान में प्रार्थी अन्यत्र सदामत से चालू रास्ता से आवागमन करता है जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी प्रार्थी को नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 3 सीएचएन के मु0न0 14 के किला न0 16/1, 17/1, 18/1 के दक्षिणी तरफ किला लाइन पर पूर्व से पश्चिम एव इसी प्रकार मु0न0 43 के किला न0 2/3, 3/1, 4/1 के उत्तरी तरफ किला लाईन पर पश्चिम से पूर्वी तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक होना तथा वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्व होना दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 3 सीएचएन के मु0न0 14 के किला न0 16/1, 17/1, 18/1 के दक्षिणी तरफ किला लाइन पर पूर्व से पश्चिम एव इसी प्रकार मु0न0 43 के किला न0 2/3, 3/1, 4/1 के उत्तरी तरफ किला लाईन पर पश्चिम से पूर्वी तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रास्ता की एवज की भूमि के बदले राजस्थान स्टाम्प नियमों के तहत निर्धारित डीएलसी दर से अप्रार्थीगण को अनुतोषदिलाया जाकर उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़